रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-जी.जे.-अ.-01042021-226300 CG-GJ-E-01042021-226300

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 134] No. 134]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 31, 2021/चैत्र 10, 1943 NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 31, 2021/CHAITRA 10, 1943

अतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण

अधिसूचना

गांधीनगर, 25 मार्च, 2021

अंततराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण (बैंककारी) (संशोधन) विनियम, 2021

आई.एफ.एस.सी.ए./2020-21/जी.एन./रेग्यु009.—अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 की धारा 12 की उपधारा (1) और धारा 13 की उपधारा (1) के साथ पिठत धारा 28 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्रों में बैंककारी और विनिधान क्रियाकलापों के लिए अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण (बैंककारी) विनियम, 2020 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

- 1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण (बैंककारी) (संशोधन) विनियम, 2021 है।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।
- 2. अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण (बैंककारी) विनियम, 2020 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् मूल विनियम कहा गया है) के विनियम 13 में, उप-विनियम (8) के पश्चात् निम्नलिखित उप-विनियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-
 - "(9) भारत में निवासी व्यक्ति और भारत के बाहर निवासी व्यक्तियों को पोर्टफोलियो प्रबधन सेवाओं की प्रस्थापना करना।

1958 GI/2021 (1)

(10) भारत में निवासी व्यक्ति और भारत के बाहर निवासी व्यक्तियों को निवेश सलाहकारी सेवाओं की प्रस्थापना करना।"

इनजेती श्रीनिवास. अध्यक्ष

[विज्ञापन III/4/असा./572/2020-21]

टिप्पण: अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण(बैंककारी) विनियम, 2020 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में अधिसूचना सं. आई.एफ.एस.सी.ए./2020-21/जी.एन./रेग्यु.004 द्वारा तारीख 20 नवम्बर, 2020 को प्रकाशित किए गए थे।

INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES CENTRES AUTHORITY NOTIFICATION

Gandhinagar, the 25th March, 2021

INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES CENTRES AUTHORITY (BANKING) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2021

IFSCA/2020-21/GN/REG009.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 28 read with sub-section (1) of section 12 and sub-section (1) of section 13 of the International Financial Services Centres Authority Act, 2019, the International Financial Services Centres Authority hereby makes the following regulations, further to amend the, International Financial Services Centres Authority (Banking) Regulations, 2020, for banking and investment activities in the International Financial Services Centres, namely: -

- 1. (1) These regulations may be called the International Financial Services Centres Authority (Banking) (Amendment) Regulations, 2021.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the International Financial Services Centres Authority (Banking) Regulations, 2020 (hereinafter referred to as the principal regulations), in regulation 13, after sub-regulation (8), the following sub-regulation shall be inserted, namely:
 - "(9) offering Portfolio Management services to person resident in India and persons resident outside India.
 - (10) Offering Investment Advisory services to person resident in India and persons resident outside India"

INJETI SRINIVAS, Chairperson

[ADVT.-III/4/Exty./572/2020-21]

Note : The International Financial Services Centres Authority (Banking) Regulations, 2020 were published in the Gazette of India Extraordinary vide notification No. IFSCA/2020-21/GN/REG004 on 20th November, 2020.